ग्रामीण विकास मंत्रालय

मांग संख्या 67

ग्रामीण विकास विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2001-2002			संशोधित 2001-2002			बजट 2002-2003		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		9105.00	19.49	9124.49	10556.50	19.12	10575.62	10220.00	19.41	10239.41
पूंजी		*100.00*	*...*	*100.00*	*50.00*	*...*	*50.00*	*50.00*	*...*	*50.00*
जोड़		**9205.00**	**19.49**	**9224.49**	**10606.50**	**19.12**	**10625.62**	**10270.00**	**19.41**	**10289.41**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	10.22	10.22	...	10.05	10.05	...	10.14	10.14
ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम										
2. स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	2501	450.00	...	450.00	480.00	...	480.00	656.00	...	656.00
जोड़ - ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम		**450.00**	**...**	**450.00**	**480.00**	**...**	**480.00**	**656.00**	**...**	**656.00**
ग्रामीण रोजगार										
3. संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना										
(?) प्रथम चरण-जिला और ब्लाक पंचायतें										
(क) नकद धनराशि	2505	1440.00	...	1440.00	1715.00	...	1715.00	1687.50	...	1687.50
(ख) खाद्यान्न सामग्री	2505	...	...	...	...	...	...	310.50	...	310.50
	जोड़	*1440.00*	*...*	*1440.00*	*1715.00*	*...*	*1715.00*	*1998.00*	*...*	*1998.00*
(??) द्वितीय चरण-ग्राम पंचायतें										
(क) नकद धनराशि	2505	1481.64	...	1481.64	1706.64	...	1706.64	1687.50	...	1687.50
	3601	2.50	...	2.50	2.50	...	2.50	...	...	...
	3602	0.86	...	0.86	0.86	...	0.86	...	...	...
(ख) खाद्यान्न सामग्री	2505	...	...	...	...	...	...	310.50	...	310.50
	जोड़	*1485.00*	*...*	*1485.00*	*1710.00*	*...*	*1710.00*	*1998.00*	*...*	*1998.00*
जोड़ - संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना	**जोड़**	**2925.00**	**...**	**2925.00**	**3425.00**	**...**	**3425.00**	**3996.00**	**...**	**3996.00**
4. काम के बदले अनाज	2505	...	...	...	800.00	...	800.00	600.00	...	600.00
जोड़-ग्रामीण रोजगार		**2925.00**	**...**	**2925.00**	**4225.00**	**...**	**4225.00**	**4596.00**	**...**	**4596.00**
आवास										
5. ग्रामीण आवास	2216	1284.30	...	1284.30	1765.30	...	1765.30	1502.50	...	1502.50
	4216	90.00	...	90.00	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00
जोड़ - ग्रामीण आवास		**1374.30**	**...**	**1374.30**	**1815.30**	**...**	**1815.30**	**1552.50**	**...**	**1552.50**
सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण										
6. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	2235	751.50	...	751.50	571.50	...	571.50	...	...	...
7. अन्नपूर्णा	2235	0.35	...	0.35	0.35	...	0.35	...	...	...
	3601	269.00	...	269.00	89.00	...	89.00	...	...	...
	3602	0.65	...	0.65	0.65	...	0.65	...	...	...
	जोड़	*270.00*	*...*	*270.00*	*90.00*	*...*	*90.00*	*...*	*...*	*...*
जोड़ - सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण		**1021.50**	**...**	**1021.50**	**661.50**	**...**	**661.50**	**...**	**...**	**...**
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम										
8. डीआरडीए प्रशासन	2515	198.00	...	198.00	178.00	...	178.00	198.00	...	198.00
9. प्रशिक्षण	2515	17.63	7.75	25.38	13.13	7.55	20.68	21.10	7.75	28.85
	3601	3.07	...	3.07	3.07		3.07	0.50	...	0.50
	जोड़	*20.70*	*7.75*	*28.45*	*16.20*	*7.55*	*23.75*	*21.60*	*7.75*	*29.35*
10. ग्रामीण विकास के अन्य कार्यक्रम	2515	41.25	1.52	42.77	56.25	1.52	57.77	48.90	1.52	50.42
	3601	3.75	...	3.75	3.75	...	3.75	...	...	...
	जोड़	*45.00*	*1.52*	*46.52*	*60.00*	*1.52*	*61.52*	*48.90*	*1.52*	*50.42*
जोड़ - ग्रामीण विकास के अन्य कार्यक्रम		**263.70**	**9.27**	**272.97**	**254.20**	**9.07**	**263.27**	**268.50**	**9.27**	**277.77**
सड़कें और पुल										
11. केन्द्रीय सड़क निधि-अन्तरण										
को	3054	2500.00	...	2500.00	2500.00	...	2500.00	2500.00	...	2500.00
से	3601	-2500.00	...	-2500.00	...	...	...	...	...	...
	3054	...	...	...	-2500.00	...	-2500.00	-2500.00	...	-2500.00
निवल		...	...	...	...	...	...	...	...	...

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2001-2002 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2001-2002 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2002-2003 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
12. प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)	3601	2500.00	...	2500.00	...	...	...	...	...	...
	3054	...	...	...	2500.00	...	2500.00	2230.00	...	2230.00
	जोड़	*2500.00*	*...*	*2500.00*	*2500.00*	*...*	*2500.00*	*2230.00*	*...*	*2230.00*
13. उत्तर पूर्वी क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ के लिए बनाई जाने वाली परियोजनाओं/ योजनाओं के संबंध में एकमुश्त प्रावधान	2552	660.50	...	660.50	670.50	...	670.50	967.00	...	967.00
	4552	10.00	...	10.00	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*670.50*	*...*	*670.50*	*670.50*	*...*	*670.50*	*967.00*	*...*	*967.00*
कुल जोड़		***9205.00***	***19.49***	***9224.49***	***10606.50***	***19.12***	***10625.62***	***10270.00***	***19.41***	***10289.41***
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
1. आवास और शहरी विकास निगम	22216	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00
जोड़	**22216**	**50.00**	**...**	**50.00**	**50.00**	**...**	**50.00**	**50.00**	**...**	**50.00**
ग. आयोजना परिव्यय	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
केन्द्रीय योजनाः										
1. ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	12501	450.00	...	450.00	480.00	...	480.00	656.00	...	656.00
2. ग्रामीण रोजगार	12505	2925.00	...	2925.00	4225.00	...	4225.00	4596.00	...	4596.00
3. आवास	22216	1374.30	...	1374.30	1815.30	...	1815.30	1552.50	...	1552.50
4. सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	22235	1021.50	...	1021.50	661.50	...	661.50	...	...	...
5. अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	12515	263.70	...	263.70	254.20	...	254.20	268.50	...	268.50
6. सड़कें और पुल	13054	...	...	...	2500.00	...	2500.00	2230.00	...	2230.00
7. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	22552	670.50	...	670.50	670.50	...	670.50	967.00	...	967.00
राज्य योजना										
7. प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना	43601	2500.00	...	2500.00	...	...	...	...	...	...
जोड़		**9205.00**	**...**	**9205.00**	**10606.50**	**...**	**10606.50**	**10270.00**	**...**	**10270.00**

1. यह प्रावधान ग्रामीण विकास विभाग के सचिवालय पर व्यय के लिए है।

2. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) जो 1.4.1999 से लागू की गई थी, को एक संपूर्ण कार्यक्रम के रूप में बनाया गया है जिसके अंतर्गत स्व-सहायता समूहों में ग्रामीण निर्धनों के संगठन जैसे स्व-रोजगार के सभी पहलू और उनका क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, क्रिया-कलापों वाले समूहों की योजना, आधार संरचना विकास, बैंक ऋण और सब्सिडी के द्वारा वित्तीय सहायता और विपणन सहायता आदि शामिल है। विगत अनुभव ने यह प्रदर्शित किया है कि यदि प्रयत्न व्यक्तिगत अभिमुखी के स्थान पर दोनों समूह आधारित हो तो सफलता की दर अधिक होती है। अतः यह कार्यक्रम स्व-सहायता समूहों को बढ़ावा देने पर जोर देता है। यह चुने गये महत्वपूर्ण कार्य-कलापों में छोटे उद्यमों के विकास में सामूहिक प्रयासों पर जोर देता है। बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को कार्यक्रम के कार्यान्वयन में घनिष्ठ रूप से शामिल और सहयोजित किया जाता है और इसके लिए प्रत्येक महत्वपूर्ण क्रिया-कलापों हेतु परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाती है और स्व-रोजगारियों का चुनाव किया जाता है और परियोजना के बाद की मानीटरिंग आदि की जाती है। केन्द्र और राज्यों द्वारा 75:25 के अनुपात में निधियों की साझेदारी की जाती है। इस योजना के लक्षित वर्ग में गरीबी की रेखा से नीचे के गरीब ग्रामीण परिवारों को शामिल किया गया है। लक्षित वर्ग के अंतर्गत मार्गनिर्देशों में योजना हेतु यह प्रावधान किया गया है और इसमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा 50%, महिलाओं का 40% और कमजोर लोगों का 3% होगा।

3. रोजगार आश्वासन स्कीम (ई.ए.एस.) और जवाहर ग्रामीण समृद्धि योजना (जे.जी.एस.वाई.) की चालू स्कीमों को एक में मिलाकर 25 सितम्बर, 2001 से सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) नामक एक नई केन्द्र प्रायोजित स्कीम शुरु की गई है। इस नये कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त वेतन रोजगार प्रदान करना और खाद्य सुरक्षा भी, निरंतर चल रही स्कीम वाले समुदाय का सृजन, सामाजिक और आर्थिक परिसंपत्तियों का सृजन और इन क्षेत्रों में आधार सुविधाओं का विकास करना है। इस उद्देश्य के लिए एस.जी.आर.वाई. में कामगारों के लिए प्रति दिवस 5 किलोग्राम की दर से खाद्यान्न का वितरण, वेतन के अंश के रूप में शामिल है। यद्यपि, इसकी नकद धनराशि और राज्यों द्वारा 75:25 के अनुपात में वहन की जायेगी फिर भी, केन्द्र सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निःशुल्क खाद्यान्न की आपूर्ति करेगी। इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन दो स्तरों में किया जायेगा। दोनों स्तरों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध कुल संसाधनों का 50% प्राप्त होगा। पहले स्तर को जिला और मध्यवर्ती पंचायत स्तरों पर कार्यान्वित किया जायेगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध निधियों और खाद्यान्नों का 50% जिला परिषदों और मध्यवर्ती पंचायतों के बीच 40:60 के अनुपात में किया जायेगा। दूसरे स्तर का कार्यान्वयन कार्यक्रम ग्रामीण पंचायत स्तर पर किया जायेगा। इस स्तर के अंतर्गत सम्पूर्ण आवंटन का वितरण डी.आर.डी.ए./जिला परिषदों के माध्यम से ग्राम पंचायतों के बीच किया जायेगा। कार्यक्रम का कार्यान्वयन पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से किया जायेगा।

4. काम के बदले अनाज कार्यक्रम को रोजगार आश्वासन स्कीम के अंग के रूप में 2000-01 में छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तरांचल के 8 सूखा प्रभावित राज्यों में खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी और कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा यथा-अधिसूचित सूखे से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त वेतन रोजगार के माध्यम से यह कार्य किया जाना था। काम के बदले अनाज कार्यक्रम को बाद में सूखा, बाढ़, तूफान या भूकम्प जैसी प्राकृतिक आपदाओं की अवधियों के दौरान अधिसूचित जिलों में वेतन रोजगार उत्पन्न करने के लिए कार्यान्वित की जा रही केन्द्र या राज्य सरकारों की किसी भी स्कीम के एक हिस्से के रूप में विस्तार किया गया। यह कार्यक्रम पहले 30 जून, 2001 तक समाप्त किया जाना था। बाद में इसे 31 दिसम्बर, 2001 तक

बढ़ा दिया गया और इसके बाद इसे 31 मार्च, 2002 तक उन राज्यों/क्षेत्रों में बढ़ा दिया गया जिन्हें प्राकृतिक आपदा प्रभावित के रूप में औपचारिक रूप से अधिसूचित किया गया है।

5. इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) का उद्देश्य प्राथमिक रूप से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, मुक्त किये गये बंधुआ मजदूरों और गरीबी की रेखा से नीचे के ग्रामीण गैर-अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए अनुदान सहायता देकर आवास यूनिटों का निर्माण करने और उनके मौजूदा कच्चे घरों के उन्नयन में सहायता के लिए था। वर्ष 1995-96 से आई.ए.वाई. के लाभों का विस्तार युद्ध में मारे गये रक्षा कर्मचारियों की विधवाओं या निकटतम सम्बधियों को सुविधाओं के लिए भी किया गया, भले ही, उनकी आय कुछ भी हो परन्तु वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हों: (1) वे ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हों (2) वे आवास, पुनर्वास की किसी अन्य स्कीम के अंतर्गत शामिल न हो और (3) वे बेघर हों या आवास उन्नयन के लिए उन्हें आवास की जरूरत हो। इसके लाभों का विस्तार भूतपूर्व सैनिकों और पैरा मिलिट्री बलों के सेवानिवृत्त सदस्यों के लिए भी किया गया है, जब तक वे इंदिरा आवास योजना की सामान्य पात्रता शर्तों को पूरा करते हों और किसी अन्य आवास पुनर्वास स्कीम के अंतर्गत शामिल न किए गए हों। निधियों का 3% ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के कमजोर लोगों के लाभ के लिए रक्षित किया गया है। मैदानी इलाकों में प्रत्येक आवास के लिए सहायता की अधिकतम सीमा 20 हजार रुपए और पर्वतीय/दुर्गम क्षेत्रों में 22 हजार रुपये निर्धारित की गई है। वर्ष 1999-2000 से प्रति यूनिट 10 हजार रुपये की दर से खराब मकानों का उन्नयन भी शुरू किया गया। इस शीर्ष के अंतर्गत आई.ए.वाई. निधियों का 20 प्रतिशत आवंटन किया जाता है। निधियों की साझेदारी केन्द्र और राज्यों के बीच 75:25 के अनुपात में की जाती है। 1.4.1999 से शुरू की गयी ऋण एवं सब्सिडी स्कीम अभी चल रही है और उसका उद्देश्य 32 हजार रुपये तक की वार्षिक आय वाले ग्रामीण परिवारों के मकानों के निर्माण के लिए निधियां प्रदान करना है। इन ग्रामीण परिवारों को पहले आई.ए.वाई के अंतर्गत शामिल किया गया था परन्तु इस पहल से वह अपने मकान बनाने के हकदार हो गये हैं। पात्र परिवारों को 10 हजार रुपए तक की सब्सिडी और 40 हजार रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। ग्रामीण परिवारों के लिए ऋण की उपलब्धता सुधारने के लिए "हुडकों" की इक्विटी सहायता भी दी जा रही है। सफाई एवं पेय जल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समग्र बेहतर आवास प्रदान करने के लिए 1.4.1999 से समग्र आवास योजना शुरू की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में किफायती प्रौद्योगिकियों, सामग्रियों, डिजाइनों आदि को बढ़ावा और उसका प्रचार-प्रसार करने के लिए 1.4.1999 से एक स्कीम अर्थात् ग्रामीण आवास एवं आवास स्थल विकास की नई स्कीम चल रही है। इसके अलावा 1.4.1999 से देश में ग्रामीण भवन केन्द्रों की स्थापना की एक स्कीम शुरू की गई है जिसका उद्देश्य प्रशिक्षण और किफायती भवन सामग्री के उत्पादन के द्वारा प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण और कार्य-कौशल बढ़ाना है। इसके अलावा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण आवास के लिए 1.4.1999 से एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की गई है ताकि इस क्षेत्रक में निरंतर आधार पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी निवेशों को लाया जा सके और प्रौद्योगिकी, आवास, स्थल और ऊर्जा से संबंधित मुद्दों में परिवर्तन लाजा जा सके जिसके द्वारा सामुदायिक अन्तर-मध्यस्थता के जरिये और विनिर्दिष्ट समय सीमा के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के लिए किफायती आवास प्रदान किये जायेंगे।

6. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.) को 2002-03 से राज्य योजना में हस्तांतरित कर दिया गया है।

7. अन्नपूर्णा स्कीम को 2002-03 से राज्य योजना में हस्तांतरित कर दिया गया है।

8. स्कीम का उद्देश्य डी.आर.डी.ए. को सुदृढ़ करना और उन्हें अधिक व्यावसायिक एवं प्रभावकारी बनाना है। इसे एक विशेषज्ञता वाली एजेंसी के रूप में बनाया गया है जो एक ओर मंत्रालय के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के प्रबंधन में सक्षम होगी और दूसरी ओर जिलों में गरीबी उन्मूलन के समग्र प्रयत्नों को इनके साथ प्रभावकारी रूप से संबद्ध कर सकेगी। प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए इस स्कीम का वित्त पोषण केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा 75:25 के अनुपात में किया गया है।

9. इस आवंटन में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान और ग्रामीण विकास की राज्य संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण, प्रशिक्षण केन्द्रों के विस्तार आदि के लिए सहायता देना शामिल है।

10. इसमें लोक कार्रवाई प्रगति परिषद् और स्वैच्छिक कार्रवाई संवर्धन पर ग्रामीण प्रौद्योगिकी को सहायता, पंचायती राज संस्थाओं, आई.ई.सी. क्रियाकलापों, मानीटरिंग कार्यतंत्र सूचना-प्रौद्योगिकी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आदि के लिये सहायता का प्रावधान शामिल है।

11 और 12. प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना को दिसम्बर, 2000 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य 500 से अधिक की आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में सभी असंयोजित आवास-स्थलों को दसवीं योजना अवधि के अंत तक सभी मौसमों में चालू अच्छी सड़कों के माध्यम से जोड़ना है। पहाड़ी राज्यों (पूर्वोत्तर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तरांचल) और रेगिस्तानी क्षेत्रों के संबंध में यह उद्देश्य 250 और इससे अधिक की आबादी वाले आवास-स्थलों को सड़कों से जोड़ना है। इसके अलावा कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यमान ग्रामीण सड़कों को उन्नत करना है।

13. इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के विकास के लिए परियोजनाओं/स्कीमों के लिये प्रावधान है।